न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–39/2017

उनवान

1– हनुमान रेबारी गोद पुत्र सुवा रेबारी, निवासी अटलपुरा, तह. हुरडा ।
–प्रार्थी

बजाम

1– श्रीमति सीता पत्नि सुवा रेबारी, निवासी अटलपुरा, तहसील हुरडा ।
2– श्रीमति रामकन्या पत्नि गोपाल गुर्जर, निवासी अटलपुरा, तह. हुरडा।
3– नारायण पिता हरलाल रेबारी, निवासी अटलपुरा, तहसील हुरडा ।
4– धर्मा पिता हरलाल रेबारी, निवासी अटलपुरा, तहसील हुरडा ।
5– राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार एवं उपपंजियक हुरडा ।
6– पटवारी हल्का त़स्वारिया तहसील हुरडा ।
–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता, वकील प्रार्थी
श्री मोहम्मद निशार, प्रतिवादी संख्या– 1 2

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 01.06.2018

1– प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया गया मोजा मादेडा पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा में आराजी नम्बर– 14/1 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा स्थित है । जो मौजूदा रेवेन्यू रेकार्ड में विपक्षी नम्बर– 1 श्रीमति सीता व विपक्षी नम्बर– 3 नारायण एवं विपक्षी नम्बर–4 धर्मा रेबारी के नाम दर्ज है जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है ।

2– खातेदार सुवा रेबारी की दिनांक 29.02.2016 को मृत्यु हो चूकी है ।

3– खातेदार सुवा रेबारी के कोई सन्तान नही होने से उसने जाति रश्म रिवाज के अनुसार श्रद्धा पिण्ड प्रदान आदि कार्यो के लिए अपने जीते जी अपने बडे भाई नारायण रेबारी के छोटे पुत्र प्रार्थी हनुमान को दिनांक 12.01.2011 को गोद रखा तथा रुबरु गवाहान के समक्ष गोदनामा निष्पादित करके उसको नोटेरी से प्रमाणित करवाया तथा गोद के बारे में बडवा पोथी में भी इसका इन्द्राज हो रखा है तभी से प्रार्थी को सुवा के गोद पुत्र के रुप में जाना व पहचाना जाता है और गोद रखने के पश्चात प्रार्थी ही सुवा रेबारी के साथ रहकर उसकी सेवा बन्धगी करता आ रहा था एवं सुवा की मृत्यु के पश्चात उसके 12 दिनो का सभी प्रकार का खर्चा प्रार्थी द्वारा किया

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

गया एव उसकी पंगडी गांव के मौतवीर व्यक्तियों व रिश्तेदारों की मौजूदगी में प्रार्थी को बंधवाई गई ।

4– खातेदार सुवा की मृत्यु के बाद उसके विरासत का खाता प्रार्थी व विपक्षिया नम्बर–1 के नाम बराबर बराबर हक हिस्से से खुलना चाहिए था मगर विपक्षिया नम्बर–1 ने प्रार्थी से छिपाते हुये, पटवारी हल्का से मिलिभगत करते हुए सुवा के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का खाता अकेले अपने नाम पर खुलवा लिया जो गलत होकर कानून की मंशा के विपरीत है जबकि सुवा की मृत्यु के बाद उसके 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थी व विपक्षिया नम्बर– 1 का सम्मिलित रुप से लगातार कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है और प्रार्थी विपक्षिया नम्बर– 1 के साथ अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

5– विपक्षिया नम्बर–1 ने अपने खाते के बल उक्त आराजीयात को विपक्षिया नम्बर–2 श्रीमति रामकन्या पत्नि गोपाल गुर्जर को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तादादी 1,30,000/– रुपये में दिनांक 18.09.2017 को विक्रय कर दी जो प्रार्थी के हक पर शून्य प्रभावी है ।

6– विपक्षिया नम्बर– 1 व 2 विपक्षी नम्बर 5 व 6 से मिलकर आपसी साजिस व सलाह से मृतक सुवा के हक हिस्से की आराजीयात को जो विपक्षिया नम्बर– 02 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद सुदा है उसका खाता अपने नाम पर खुलवा कर उसको दिगर को विक्रय/ अन्तरण एवं उसका पंजियन करने कराने पर उतारु है और मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु होता है और यह रवैया उन्होने दिनांक 05.11.2017 से जारी कर रखा है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना प्रार्थी को अपने हक उपभोग की आराजी से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

7– अन्त में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर ताः फैसला मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षिया नम्बर– 1 व 2 तथा विपक्षी नम्बर– 5 व 6 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादीर फरमाई जावें कि विपक्षिया नम्बर– 1 द्वारा विक्षिया 2 को विक्रय की गई आराजीयात का नामान्तरकरण अपने नाम खोलने खुलवाने व उसको दिगर को विक्रय / अन्तरण एवं उसका पंजियन करने कराने से रुके रहें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । यदि दौराने कार्यवाही मुकदमा विपक्षीगण इसमें सफल हो जावे तो उनके खर्चे से उक्त आराजी के लिये वाद दायरी की स्थिति रेस्टोर कराई करावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

8– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या– 1 व 2 की तरफ से मूल वाद में श्री मोहम्मद निशार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाद पेश करना चाहा । अप्रार्थी संख्या– 3 व 4 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुध दिनांक 26.02.2018 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित किये गये । विपक्षी संख्या– 5 व 6 के पैरोकारराज उपस्थित हुये ।

9– तत्पश्चात् पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट तस्वारियॉ पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अन्तिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करनें से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया मृतक खातेदार सुवा रेबारी के नाम दर्ज रिकार्ड थी । खातेदार सुवा रेबारी के कोई सन्तान नही होने से उसने जाति रसम रिवाज के अनुसार अपने जीते जी उनके बड़े भाई नारायण के पुत्र हनुमान रेबारी को दिनांक 12.01.2011 को गोद रखा तथा एक गोदनामा निष्पादित करके उसको नोटरी से प्रमाणित करवाया तभी से प्रार्थी सुवा के गोद पुत्र के रुप में पहचाना जा रहा है तथा सुवा रेबारी के साथ रहकर उसकी सेवा चाकरी करता आ रहा था । मृतक खातेदार सुवा की मृत्यु के पश्चात उसके 12 दिनों का कार्य भी प्रार्थी के द्वारा किया गया । खातेदार सुवा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का खाता प्रार्थी व विपक्षी नम्बर–1 सीता के नाम बराबर हक हिस्से से खुलना चाहिये था किन्तु मृतक खातेदार सुवा की पत्नि सीता ने पटवारी से मिलकर सुवा के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर विपक्षी नम्बर–2 को बेचान कर दी । अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षी नम्बर–1 के द्वारा विपक्षी नम्बर–2 को विक्रय किये गयी आराजीयात का नामान्तकरण नही खोलने हेतु विपक्षीगणों को पाबन्द फरमाया जावें ।

10– जबकि वकील अप्रार्थी का कथन था कि मृतक खातेदार सुवा के द्वारा प्रार्थी को कभी भी गोद नही रखा था और न ही उसके द्वारा कोई गोदनामा निष्पादित करवाया गया । प्रार्थी के द्वारा तथाकथिक गोदनामा गलत होकर फर्जी है । मृतक खातेदार सुवा रेबारी के विधिक वारिसान उसकी पत्नि होने से उसके नाम नामान्तकरण खोला गया जो सही खोला गया है । अप्रार्थी संख्या–1 को अपनी पारिवारिक खर्च की आवश्यकता होने से उसके द्वारा अपनी आराजीयात विपक्षी नम्बर–2 को बेचान की गई है जो विधि अनुरुप की गई है । अन्त में कथन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा गलत व फर्जी गोदनामा के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

11– मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न

Scanned by CamScanner

प्रकार से रहा हैं।

12– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मौजा मादेडा पटवार हल्का तस्यारियॉ तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 14/1 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि नारायण, सुवा, धर्मा, पिता हरलाल रेबारी, साकिन देह खातेदार होना तथा नामान्तरकण संख्या– 1488 दिनांक 06.04.2017 विरासत से सुवा लाल पिता हरलाल के बजाय सीता पत्नि सुवा का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

13– यहॉ प्रार्थी का कथन है कि खातेदार सुवा रेबारी के कोई सन्तान नही होने से उसने जाति रसम रिवाज के अनुसार अपने जीते जी उनके बडे भाई नारायण के पुत्र हनुमान रेबारी को दिनांक 12.01.2011 को गोद रखा तथा एक गोदनामा निष्पादित करके उसको नोटरी से प्रमाणित करवा कर उसे दी । मृतक खातेदार सुवा की मृत्यु के पश्चात उसके 12 दिनों का कार्य भी प्रार्थी के द्वारा किया गया । खातेदार सुवा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का खाता प्रार्थी व विपक्षी नम्बर–1 सीता के नाम बराबर हक हिस्से से खुलना चाहिये था किन्तु मृतक खातेदार सुवा की पत्नि सीता ने पटवारी से मिलकर सुवा के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर विपक्षी नम्बर–2 को बेचान कर दी । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा गोदनामा की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की । प्रस्तुत गोदनामा का अवलोकन किया गया । जिससे सुवा रेबारी के द्वारा प्रार्थी हनुमान पिता नारायण रेबारी को गोद रखना प्रकट आया है । इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन है कि तथाकथित गोदनामा गलत होकर फर्जी है। सुवा रेबारी के रहते प्रार्थी को कभी गोद नही रखा । हांलाकि यह तो मूल वाद में वाद साक्ष्य सबूत से तय होगा कि प्रार्थी मृतक खातेदार का गोदपुत्र है या नही , इस 212 के प्रार्थना पत्र में इस का निस्तारण नही किया जा सकता । चुँकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की अप्रार्थी संख्या–1 खातेदार है और उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या–2 को भूमि का बेचान कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण को रोका नही गया तो अप्रार्थी संख्या–2 अपने हक में निष्पादित विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाकर आराजीयात को पुनः बेचान कर देगी । रहन बक्षीस कर देगी जिसे प्रार्थी अपने हक हकूक की आराजीयात से वंचित हो जायेगा । तथा उसे अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा । लिहाजा इस स्टेज पर प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा व न्याय सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

Scanned by CamScanner

किया जाता है कि वह मौजा मादेडा पटवार हल्का तस्वारियॉ तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 14/1 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें । पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner